

2015 का विधेयक संख्यांक 152

[दि राइट टू फेयर कम्पनशेशन एंड ट्रांसपेरेन्सी इन लैंड एक्यूजीशन रिहेबिलीटेशन एंड रिसेटलमेंट (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
(दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015**

**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
अधिकार अधिनियम, 2013
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ ।

5 (2) यह 31 दिसम्बर, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, “प्राइवेट कंपनी” शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं “प्राइवेट इकाई” शब्द रखे जाएंगे ।

संपूर्ण
अधिनियम में
कतिपय पदों का
प्रतिस्थापन ।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह भी कि धारा 10क की उपधारा (1) में सूचीबद्ध परियोजनाओं और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन को इस उपधारा के पहले परन्तुक के उपबंधों से छूट प्राप्त होगी ।”।

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(i) खंड (ज) के उपखंड (i) में, “कंपनी अधिनियम, 1956” शब्दों और अंकों के स्थान पर “कंपनी अधिनियम, 2013” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

1956 का 1
2013 का 18

(ii) खंड (म) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(मम) “प्राइवेट इकाई” से सरकारी इकाई या उपक्रम से भिन्न कोई इकाई अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई स्वत्व, भागीदारी, कंपनी, निगम, अलाभकारी संगठन या अन्य इकाई भी है ;’ ।

नए अध्याय 3क का अन्तःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम के अध्याय 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“अध्याय 3क

अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंधों का कतिपय परियोजनाओं को लागू न होना

कतिपय परियोजनाओं को छूट देने की समुचित सरकार की शक्ति ।

10क. (1) समुचित सरकार, लोक हित में, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित परियोजनाओं में से किन्हीं को इस अधिनियम के अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंधों के लागू किए जाने से छूट प्रदान कर सकेगी, अर्थात् :-

(क) ऐसी परियोजनाएं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अन्तर्गत रक्षा की तैयारी या रक्षा उत्पादन भी है, के लिए आवश्यक हैं ;

(ख) ग्रामीण अवसंरचना जिसके अन्तर्गत विद्युतीकरण भी है ;

(ग) खर्च वहन करने योग्य आवास और निर्धन व्यक्तियों के लिए आवास ;

(घ) समुचित सरकार और उसके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक कोरीडोर (ऐसे मामले में ऐसे औद्योगिक कोरीडोर के लिए भूमि का अर्जन अभिहित रेल लाइन या सड़कों के दोनों ओर के एक किलोमीटर तक किया जाएगा) ; और

(ङ) अवसंरचना परियोजनाएं, जिनके अन्तर्गत पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के अधीन ऐसी परियोजनाएं भी हैं, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार में निहित बना रहता है :

परन्तु समुचित सरकार, अधिसूचना जारी किए जाने के पूर्व, ऐसी परियोजना

के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि मात्र को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तावित अर्जन के लिए भूमि की सीमा को सुनिश्चित करेगी ।

5 (2) समुचित सरकार, अपनी बंजर भूमि का, जिसके अंतर्गत अनुर्वर भूमि भी है, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, सर्वेक्षण कराएगी और ऐसी भूमि के ब्यौरों से युक्त एक अभिलेख बनाए रखेगी ।" ।

6. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 24 का संशोधन ।

10 "परन्तु यह और कि इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में ऐसी किसी अवधि या अवधियों को, जिनके दौरान भूमि के अर्जन की कार्यवाहियां, किसी न्यायालय द्वारा जारी किसी रोक या व्यादेश के कारण रोक दी गई थीं या कब्जा लेने के लिए किसी अधिकरण के अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट अवधि को या ऐसी अवधि को, जहां कब्जा ले लिया गया है किन्तु प्रतिकर न्यायालय में या इस प्रयोजन के लिए बनाए रखे गए किसी अभिहित खाते में जमा पड़ा हुआ है, 15 अपवर्जित किया जाएगा ।" ।

7. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ज) में, "आज्ञापक नियोजन" शब्दों के पश्चात्, ", जिसके अंतर्गत किसी फार्म श्रमिक के ऐसे प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य का अनिवार्य नियोजन भी है," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 31 का संशोधन ।

20 8. मूल अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में, "से भिन्न कोई व्यक्ति आता है" शब्दों के स्थान पर, "आती है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 46 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 67 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

नई धारा 67क का अंतःस्थापन ।

25 "67क. प्राधिकरण, धारा 64 के अधीन निर्देश प्राप्त करने और ऐसे निर्देश की सभी संबंधित पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात्, निर्देश में उठाए गए आक्षेपों का समाधान करने के लिए उस जिले में सुनवाई करेगा, जहां कि भूमि का अर्जन किया जाएगा ।" ।

शिकायतों का विनिश्चय करने के लिए प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का जिले या जिलों में किया जाना ।

10. मूल अधिनियम की धारा 87 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 87 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

30 "87. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो ऐसा अभिकथित अपराध किए जाने के समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में नियोजित है या था, वहां न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान तब करेगा, जब कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 में अभिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए ।" ।

सरकारी पदधारियों द्वारा अपराध ।

35 11. मूल अधिनियम की धारा 101 में, "पांच वर्ष की अवधि तक" शब्दों के स्थान पर, "किसी परियोजना के स्थापित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि तक या पांच वर्ष

धारा 101 का संशोधन ।

की अवधि तक, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 105 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 105 में,---

(i) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(3) पहली अनुसूची के अनुसार प्रतिकर के अवधारण, दूसरी अनुसूची के अनुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन और तीसरी अनुसूची के अनुसार 5 अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन से संबंधित अधिनियमितियों को 1 जनवरी, 2015 से लागू होंगे।”;

(ii) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 109 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात्, 10 निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(घघ) बंजर भूमि का, जिसके अंतर्ग अनुर्वर भूमि भी है, सर्वेक्षण करने तथा धारा 10क की उपधारा (2) के अधीन अनुर्वर भूमि के ब्यौरों से युक्त अभिलेख बनाए रखने की रीति ;”।

धारा 113 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 113 की उपधारा (1) में,---

15

(i) “इस भाग के उपबंधों” शब्दों के स्थान पर, “इस अधिनियम के उपबंधों” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परन्तुक में “दो वर्ष की अवधि” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष की अवधि” शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

15. (1) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और 20 पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

2015 का अध्यादेश सं0 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम कहा गया है) भूमि के स्वामियों और उक्त अधिनियम तथा चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट 13 अधिनियमों के अधीन, जिनमें संबंधित अधिनियमों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में उपबंध है, किए गए भूमि के अर्जनों से प्रभावित कुटुंबों को न्यायोचित और ऋजु प्रतिकर भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची में किए गए उपबंधों के निबंधनों के अनुसार देने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरे शब्दों में, भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम में उपबंधित प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के फायदे को चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में अधीन किए गए भूमि अर्जन के मामलों में विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

2. भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम की धारा 105 में उपबंधित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए चौथी अनुसूची के तेरह अधिनियमों के अधीन भूमि अर्जन के लिए वर्धित प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उपबंध को और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए आवश्यक उपबंध करने को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर, 2014 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश 2014 प्रख्यापित किया गया था। 24 फरवरी, 2015 को उसे प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था। वह विधेयक लोक सभा द्वारा कुछ संशोधनों सहित 10 मार्च, 2015 को पारित किया गया था। लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक को विचारार्थ लेने और उसे पारित किए जाने संबंधी प्रस्ताव की सूचना राज्यसभा को 13 मार्च, 2015 को दी गई थी तथापि यह विधेयक राज्यसभा में 28 मार्च, 2015 को स्थगित हो जाने के कारण राज्यसभा में विचारार्थ नहीं लिया जा सका।

3. 2013 के अधिनियम की, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 द्वारा यथा संशोधित धारा 105 में अधिनियम की चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध तेरह अधिनियमों के अधीन भूमि अर्जन की दशा में वर्धित प्रतिकर के फायदे का उपबंध किया गया है।

4. 2013 के अधिनियम की, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 द्वारा यथा संशोधित धारा 105 में अधिनियम की चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध तेरह अधिनियमों के अधीन भूमि अर्जन की दशा में वर्धित प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के फायदा का उपबंध किया गया है। उक्त अध्यादेश के उपबंधों को अविच्छन्न बनाए रखने की दृष्टि से अध्यादेश प्रख्यापित करना और उसके स्थान पर, संसद् में प्रतिस्थानी विधेयक लाना आवश्यक था, जिससे कि 2013 के अधिनियम की चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध तेरह अधिनियमों के अधीन भूमि का अर्जन किए जाने के मामलों में पूर्वतर अध्यादेश के उपबंधों के माध्यम से वर्धित प्रतिकर और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन को प्रवृत्त बनाया जा सके।

5. चूंकि राज्य सभा सत्र में नहीं थी और केंद्रीय सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन)

अध्यादेश, 2014 के उपबंधों को अविच्छिन्न बनाए रखने और भूमि अर्जन की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित था, अतः 3 अप्रैल, 2015 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक 4) प्रख्यापित किया गया था।

6. उक्त अध्यादेश में राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा की तैयारी और रक्षा उत्पादन भी है, ग्रामीण अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्युतीकरण भी है, खर्च वहन करने योग्य आवास और गरीब व्यक्तियों के लिए आवास, समुचित सरकार और उसके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक कोरीडोर, (ऐसे मामले में ऐसे औद्योगिक कोरीडोर के लिए भूमि का अर्जन, अभिहित रेल लाइन या सड़कों के दोनों ओर के एक किलोमीटर तक किया जाएगा) अवसंरचना परियोजनाएं, जिनके अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के अधीन ऐसी परियोजनाएं भी हैं, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार में निहित बना रहता है, जैसे सामरिक महत्व के और विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया जल्दी पूरी करने के लिए आवश्यक समर्थनकारी उपबंध अंतर्विष्ट है, ऊपर उपबंधित मामलों के सिवाय अधिनियम में उपबंधित अर्जनों की दशा में भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन "सहमति" खंड को जारी रखने का प्रस्ताव है।

7. इसके अतिरिक्त, देश की समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने के लिए किसानों के कल्याण के रक्षोपायों के लिए, भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम के 'सामाजिक समाघात निर्धारण' और खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित उपबंधों से उन्हें छूट देने के लिए समुचित सरकार को, सशक्त करने का प्रस्ताव है। तथापि, समुचित सरकार, अधिसूचना जारी किए जाने के पूर्व, ऐसी परियोजना के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि मात्रा को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तावित अर्जन के लिए भूमि की सीमा को सुनिश्चित करेगी। समुचित सरकार, अपनी बंजर भूमि का, जिसके अंतर्गत अनुर्वर भूमि भी है, ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, सर्वेक्षण कराएगी और ऐसी भूमि के ब्यौरों से उक्त एक रिकार्ड बनाए रखेगी।

8. 'कंपनी अधिनियम, 1956' के स्थान पर, 'कंपनी अधिनियम, 2013' प्रतिस्थापित करके जहां 'कंपनी' शब्द को परिभाषित किया गया है, वहां पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस समय, भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम के उपबंधों का विस्तार 'प्राइवेट कंपनी' तक है, जिसके द्वारा पब्लिक कंपनी, स्वत्व भागीदारी, अलाभकारी संगठन आदि जैसे अन्यों को अपवर्जित किया गया है। अतः, 'प्राइवेट कंपनी' पद के स्थान पर, 'प्राइवेट इकाई' पद प्रतिस्थापित करने और तदनुसार परिभाषित करने का प्रस्ताव है।

9. इसमें भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि की संगणना में ऐसी पूरी अवधि अर्थात् उस अवधि को, जिसके दौरान भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 से उद्भूत भूमि अर्जन की कार्यवाहियां, किसी न्यायालय द्वारा जारी किसी रोक या व्यादेश के कारण रोक दी गई थीं या कब्जा लेने के लिए किसी अधिकरण के अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट अवधि को या ऐसी अवधि को, जहां कब्जा ले लिया गया है, किंतु प्रतिकर न्यायालय में या इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित किसी खाते में जमा पड़ा हुआ है, अपवर्जित करने का प्रस्ताव है।

10. अधिनियम की धारा 31 का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे प्रभावित कुटुम्बों के लिए कलेक्टर द्वारा पारित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी अधिनिर्णय में किसी फार्म श्रमिक के ऐसे प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के अनिवार्य नियोजन को भी सम्मिलित किया जा सके ।

11. धारा 46 का उपांतरण करने का प्रस्ताव है जिससे गैर-सरकारी इकाइयों द्वारा प्राइवेट बातचीत के माध्यम से भूमि क्रय करने की दशा में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के फायदे भूस्वामियों के लिए उपलब्ध हो सकें ।

12. अधिनियम में एक नई धारा 67क अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें यह आज्ञापक बनाया गया है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण उस जिले में सुनवाई करेगा जहां अधिनियम की धारा 64 के अधीन निर्देश में उठाए गए आक्षेपों का समाधान करने के लिए भूमि का अर्जन किया गया है ।

13. धारा 87 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अधिनियम के अधीन सरकारी पदधारियों द्वारा किए गए किसी अपराध का संज्ञान, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

14. धारा 101 का, जो अनुपयोजित भूमि वापस लिए जाने के बारे में है, ऐसी अवधि को, जिसके पश्चात् अनुपयोजित भूमि, भूमि स्वामी को या भूमि बैंक को प्रत्यावर्तित हो जाएगी, जो वर्तमान में 'पांच वर्ष' है, "किसी परियोजना के स्थापित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि तक या पांच वर्ष की अवधि तक, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो," बढ़ाने के लिए संशोधन किया जा रहा है ।

15. भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम की धारा 113 में अनवधानता से, 'अधिनियम' के स्थान पर, 'भाग' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका सुधार किए जाने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त, कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंधित अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा रहा है ।

16. विधेयक, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4) को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
18 अप्रैल, 2015.

बीरेन्द्र सिंह

उपाबंध

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 से उद्धरण

(2013 का अधिनियम संख्यांक 30)

* * * * *
 अधिनियम का लागू होना। 2. (1) * * * * *

(2) इस अधिनियम के भूमि अर्जन, सहमति, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में लागू होंगे, जब समुचित सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:—

* * * * *

परन्तु यह और कि सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया धारा 4 में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के साथ कार्यान्वित की जाएगी:

* * * * *

परिभाषाएं। 3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(ज) “कंपनी” से अभिप्रेत है,—

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी, जो सरकारी कंपनी से भिन्न हो ; 1956 का 1

* * * * *

कतिपय मामलों में 1894 के अधिनियम 1 के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया का व्यपगत हुआ समझा जाना। 24. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों की दशा में, जहां उक्त धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारंभ के पांच वर्ष या उससे अधिक वर्ष पूर्व किया गया है, किंतु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे व्यपगत हो गई हैं और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा विकल्प अपनाती है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नए सिरे से आरंभ करेगी : 1894 का 1

परन्तु जहां अधिनिर्णय किया गया है और अधिकांश भू-धृतियों की बाबत प्रतिकर फायदाग्राहियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, वहां अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी फायदाग्राही उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होंगे।

अध्याय 5

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय

प्रभावित व्यक्तियों के लिए कलक्टर द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय। 31. (1) * * * * *

(2) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय में निम्नलिखित सभी सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(ज) प्रभावित कुटुंबों के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले आज्ञापक नियोजन के ब्यौरे;

* * * * *

46. (1)

(6) यदि ऐसी कोई भूमि किसी व्यक्ति द्वारा 5 सितम्बर, 2011 को या उसके पश्चात् प्राइवेट बातचीत के माध्यम से क्रय की गई है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी सीमाओं से अधिक है और यदि उसी भूमि का इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अर्जन किया जाता है, तो ऐसी अर्जित भूमि के लिए संदत्त प्रतिकर का चालीस प्रतिशत हिस्सा मूल भू-स्वामियों के साथ बांटा जाएगा।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उपबंधों का विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कतिपय व्यक्तियों की दशा में लागू होना।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क)

(ख) “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” पद के अंतर्गत—

(i) समुचित सरकार;

(ii) सरकारी कंपनी;

(iii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन यथा रजिस्ट्रीकृत ऐसा व्यक्ति-संगम, न्यास या सोसाइटी, जो पूर्णतः या भागतः या भागतः समुचित सरकार द्वारा सहायता पाती है या समुचित सरकार के नियंत्रणाधीन है,

से भिन्न कोई व्यक्ति आता है।

* * * * *

87. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभाग का प्रधान, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा:

सरकारी विभागों द्वारा अपराध।

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभाग के प्रधान से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

* * * * *

101. जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रहती है, तो उसे प्रत्यावर्तन द्वारा, यथास्थिति, मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या समुचित सरकार के भूमि बैंक, में ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, वापस किया जाएगा।

अनुपयोजित भूमि का वापस किया जाना।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए “भूमि बैंक” से कोई ऐसी सरकारी इकाई अभिप्रेत है, जो सरकार के स्वामित्वाधीन की खाली, परित्यक्त, अनुपयोजित अर्जित भूमियों और कर-बकाया वाली संपत्तियों का उत्पादनकारी उपयोग में संपरिवर्तन करने पर ध्यान संकेन्द्रित करती है।

* * * * *

105. (1)

(3) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचना द्वारा, यह निदेश देगी कि पहली अनुसूची के अनुसार प्रतिकर के अवधारण और दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित इस अधिनियम के ऐसे कोई उपबंध जो प्रभावित कुटुंबों के लिए फायदाप्रद हों, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन भूमि अर्जन के मामलों को लागू होंगे

इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय दशाओं में लागू न होना या कतिपय उपांतरणों सहित लागू होना।

या, यथास्थिति, ऐसे अपवादों या उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो प्रतिकर को कम नहीं करते हैं या इस अधिनियम के प्रतिकर या पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित ऐसे उपबंधों को क्षीण नहीं करते हैं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना, प्रारूप रूप में संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व संसद के दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी करने का अनुमोदन देने में सहमत न हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने में सहमत हों तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जैसे दोनों सदन सहमति दें।

* * * * *

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

113. (1) यदि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

* * * * *